प्रेस विज्ञाप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय
दिनांक–27.07.2023 (सं०–360)

कल्याण कोष

बिहार पुलिस के अन्तर्गत पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु तीन कोष निर्धारित किये गये है।

1. **परोपकारी कोष**– सेवा अवधि के दौरान पुलिस पदाधिकारी/कर्मी की मृत्यु होने पर (आत्महत्या छोड़कर) 20 वर्षो तक उनके आश्रित को अनुदान राशि 12000 रुपया मात्र वार्षिक दिया जाता था। इस वित्तीय वर्ष से दिये जाने वाले अनुदान की राशि को दोगुना अर्थात 24000 रुपये कर दिया गया है।

   इस कोष से वित्तीय वर्ष 2023–2024 में 569 पुलिसकर्मियों को लाभान्वित किया गया है। जिसमे अब तक 1,12,70,100 रुपये की कुल राशि वितरित की गई है।

2. **शिक्षा कोष**– पुलिस पदाधिकारी/कर्मी के अधिकतम दो पुत्रों/पुत्रियों को शिक्षा कोष विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 2400 रुपये से 24000 रुपये अनुदान राशि स्वीकृत की किया जाती थी। इस वित्तीय वर्ष से दी जाने वाली इस अनुदान राशि को भी दोगुना किया गया है।

   इस कोष से वित्तीय वर्ष 2023–2024 में 183 पुलिस पदाधिकारी/कर्मी को लाभान्वित किया गया है। जिसमे अब तक 16,64,100रुपये की कुल राशि वितरित की गई है।

3. **पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष**– पुलिस पदाधिकारी/कर्मी को विभिन्न रोग होने पर 5000 रुपये से 50000 रुपये इलाज हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता था। इस वित्तीय वर्ष से दी जाने वाली इस अनुदान राशि को भी दोगुना किया गया है।

   इस कोष से वित्तीय वर्ष 2023–2024 में 93 पुलिसकर्मियों को लाभान्वित किया गया है। जिसमे अब तक 30,22,000 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया गया है।

4. कल्याण कोष से गंभीर रोग होने पर चिकित्सा कराने हेतु पुलिस पदाधिकारी/कर्मी को ब्याज रहित अधिकतम 3 लाख रुपये ऋण प्रदान किया जाता है। जिसकी भरपाई कर्मी अपने वेतन से ऋण भुगतान तिथि के 6 माह उपरांत 30 सामान्य किस्त में कर सकता है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 15 पुलिसकर्मियों को कुल राशि 42,95,000 रुपये भुगतान किया गया है।